भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1326

दिनांक 03 दिसम्बर, 2024

उत्पादन लागत कम करना

1326. श्रीमती साजदा अहमद :

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरसों और तिलहन की पैदावार बढ़ाने और उत्पादन लागत कम करने के लिए सरकार द्वारा की गई वैज्ञानिक पहल और योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का आकलन है कि अन्य फसलों की तुलना में सरसों की उपज की दर बहुत कम है जो किसानों को इसकी खेती के लिए हतोत्साहित करती है जिससे खाद्य तेल की कीमत में वृद्धि होती है;

(ग) क्या सरकार ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को संशोधित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गेहूं के घरेलू मुद्रास्फीति दबाव को संतुलित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, क्योंकि यह भारतीय बाजार की तुलना में सस्ता आयात है?

उत्तर

कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) : सरसों और अन्य तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए निम्नलिखित अनुसंधान और योजनाओं को शुरू करने की पहल की गई है:

(i) **अनुसंधान संबंधी पहलें:** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने उन्नत प्रजनन तकनीकों का प्रयोग करते हुए चार राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों और पांच अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाओं तथा अपनी अग्रणी योजनाओं जैसे संकर किस्म (हाईब्रीड) का विकास, जीन एडिटिंग तथा उच्च गुणवत्ता वाले जननद्रव्य (जर्मप्लाज्म) का आयात और समावेशन करके तिलहन की उच्च उपज देने वाले और जलवायु अनुकूल किस्मों को विकसित करने के लिए एक व्यापक योजना शुरू की है।

तिलहनों के उत्पादन की लागत को कम करने वाले अनुसंधानों में स्थान - विशिष्ट संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियां, कुपोषण के बढ़ते हुए क्षेत्रों का मानचित्रण, जलवायु परिवर्तन के अन्तर्गत बारानी और सिंचित परिस्थितियों को फसल प्रणालियों के अनुरूप बनाकर उसके आधार पर तिलहनों का विकास, पारिस्थितिकी-अनुकूल नाशीजीवों के प्रबंध संबंधी प्रौद्योगिकियां, मृदा-जांच-आधारित उर्वरीकरण और जैविकों का समावेशन, कारगर जैव उर्वरक स्ट्रेन तथा स्लो-रिलीजिंग उर्वरकों को शामिल किया गया है।

(ii) **योजना संबंधी पहलें:** देश में खाद्य तेल के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन (एनएमईओ-ओएस) शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य, सात-वर्ष की अवधि, वर्ष 2024-25 से 2020-31 के दौरान इसे देश में लागू करके घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ाना है और मुख्य रूप से उपज बढ़ाने पर जोर देकर वर्ष 2030-31 के अंत तक तिलहन उत्पादन को 69.70 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।

(ख) : भारत सरकार के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी), द्वारा किए गए छह रबी फसलों (गेहूं, जौ, सरसों, चना, मसूर और कुसुम) का मूल्यांकन दर्शाता है कि सरसों की उपज की दर (रेट) बहुत कम नहीं है। वर्ष 2021-22 को समाप्त होने वाली त्रैवार्षिक अवधि के लिए प्रति हेक्टेयर सकल मूल्य उत्पादन (जीवीओ) तीसरा सबसे अधिक था और उपर्युक्त फसलों में सरसों की फसल के लिए सकल रिटर्न/हेक्टेयर सबसे अधिक था।

(ग) एवं (घ) : जी हां, भारत सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए अधिदेशित खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में संशोधन किया है। तदनुसार, समान्य धान, ग्रेड ए धान, मक्का, तुअर (अरहर), मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन (पीला) और कपास (लंबा रेशा) के लिए एमएसपी बढ़ाकर क्रमश: 2300 रूपये प्रति क्विंटल, 2320 रूपये प्रति क्विंटल, 2225 रूपये प्रति क्विंटल, 7750 रूपये प्रति क्विंटल, 8682 रूपये प्रति क्विंटल, 7400 रूपये प्रति क्विंटल, 6783 रूपये प्रति क्विंटल, 4892 रूपये प्रति क्विंटल और 7521 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

(ङ) : गेहूं की कीमत में वार्षिक मुद्रास्फीति 28 नवम्बर 2024 को लगभग 3 प्रतिशत रही है जबकि रबी विपणन मौसम (आरएमएस) वर्ष 2024-25 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2275 रूपये प्रति क्विंटल है अर्थात् आरएमएस वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से 7.05 प्रतिशत अधिक है। गेहूं की कीमत में आगे किसी संभावित मुद्रास्फीति को लेकर केन्द्र सरकार ने नीतिगत उपाय के रूप में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के सेंट्रल पूल स्टॉक से 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं प्राइवेट पार्टियों को बेचने का निर्णय लिया है।

****